मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास 40 से ज्यादा झोपड़ी-झुग्गियां भीषण आग में जलकर खाक, 15 लोगों को सकुशल बचाया

10 किलोमीटर दूर तक दिखी आग की लपटें और धुएं का गुब्बार, बांस की लकड़ी से बने फर्नीचर समेत लाखों रु. का माल जला

जयपुर (कासं)। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास बांस व बैंत से बनी 40 से ज्यादा झुग्गी-झोपड़ियों में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। सिविल डिफेंस और अग्निशमन कर्मचारियों ने आग में फंसे 15 महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। 20 दमकलों ने 40 से ज्यादा फेरे लगाकर करीब 2 घंटे में पर काबू पाया। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार करीब 10 किलोमीटर तक दूर तक ताण्डव बयां करता दिखा। एक साथ करीब चालीस झुग्गियों में लगी आग से उनमें रहने वाले परिवारों में भदगड़ के साथ ही चीख-पुकार मच गई। हादसे में लाखों रुपए के घरेलू सामान सहित अन्य माल जलकर राख हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है।

मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास बांस व बैंत से बनी 40 से ज्यादा झुग्गी-झोपड़ियों में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार करीब 10 किलोमीटर दूर तक ताण्डव बयां करता दिखा। आग से उनमें रहने वाले परिवारों में भदगड़ के साथ ही चीख-पुकार मच गई।

- 20 दमकलों ने 40 से ज्यादा फेरे लगाकर आग पर काबू पाया, सिविल डिफेंस टीम ने भी लोगों को बचाने में मदद की

अग्निशमन अधिकारी देवांग यादव ने बताया कि भीषण आग बुधवार शाम करीब 5 बजे लगी। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास स्लिप लेन के किनारे करीब 50 परिवार लकड़ी और बांस की बनी झुग्गी झोंपडियों में रहते हैं। ये परिवार बांस की टाटी और झोपड़ी सहित बेंत की लकड़ी का फर्नीचर बनाकर गुजारा करते हैं। इनके घर भी बांस के बने थे और कच्चा व तैयार माल भी बांस-लकड़ी का था। इस कारण एक झुग्गी से शुरू हुई आग देखते ही देखते विकराल हो गई। शुक्र रहा कि समय रहते राहत कार्य शुरू हो गया और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों के आशियाने और उनमें रखे कच्चे-पक्के माल के साथ ही घरेलू सामान जलकर राख हो गया। राहत कार्य के लिए मानसरोवर के अलावा आसपास के फायर स्टेशनों से 20 दमकलों को बुलाना पड़ा।

देवांग यादव ने बताया कि हादसे की भयाभयता को देखते हुए सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। यहां बसी बस्ती की भौगोलिग स्थित ऐसी है कि सभी झुग्गी-झोंपडियां एक-दूसरे से सटी हुई हैं जिसके चलते आग ने एक के बाद एक करीब 40 से ज्यादा झुग्गियों को आगोश में ले लिया। हालात ऐसे थे कि बस्ती में रहने वाले लोगों को सामान निकालने का तक का मौका नहीं मिला और वे जान बचाने के लिए जिस हालत में उसी में भाग छूटे। सिविल डिफेंस टीम ने पुलिस और अग्निशमन कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर करीब 20 महिला और बच्चों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। मंजर ऐसा था कि दूर खडे खाना-बदोश परिवारों के पास पथराई सी आंखों से अपने आशियाने उजड़ते देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।

बताया जा रहा है कि झुग्गियों में रहने वाले एक परिवार ने बताया कि पडौसी महिला ने शाम करीब 5 बजे खाना बनाने की तैयारी के चलते चूल्हा जलाया था। हालांकि उसने आग बुझा दी थी मगर शेष रही एक छोटी सी ङ्कषचंगारी पास ही पडी सूखी तक उड़कर पहुंची तो एकदम से लपटें उठने लगी। बस्ती के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया मगर आग धीरे-धीरे उनके आशियानों के बाहर पड़े बांस व लकडिय़ों तक पहुंचकर झुग्गियों को आगोश में लेने लगी तो अफरा-तफरी के साथ दहशत फैल गई। हादसे के बाद कुछ परिवार एक-दूसरे पर लापरवाही का ठिकरा फोड़ते हुए उन्हें कोसते भी नजर आए। हालांकि बस्ती के लोग फिर से अपने आशियाने खड़े करने में जुट गए हैं।

थानेदार को किया था रंगे हाथों गिरफ्तार, परिवादी बयानों से पलटा तो हुआ बरी

जयपुर। हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में थानेदार को एसीबी कोर्ट, अलवर से मिली चार साल की सजा को रद्द करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश अशोक यादव की अपील को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को किसी भी तरह प्रमाणिक नहीं कर पाया है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों और साक्ष्य का सही रूप से विश्लेषण किए बिना न्यायिक दृष्टांतों में बताई व्यवस्था के विपरीत जाकर अनुमान के आधार पर सजा दी है। ऐसे में इसे निरस्त कर आरोपी को दोषमुक्त करना विधि सम्मत है।

अपील में अधिवक्ता अरविन्द कुमार गुप्ता व अन्य ने अदालत को बताया कि एसीबी कोर्ट, अलवर ने 22 जनवरी 2018 को अपीलार्थी को रिश्वत लेने के मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। जबकि प्रकरण में एसीबी में शिकायत देने वाले धर्मवीर ने अपने बयान में अपीलार्थी पर रिश्वत का कोई आरोप नहीं लगाया है और रिपोर्ट में रिश्वत की बात एसीबी के दबाव में लिखना स्वीकार किया है। इसके साथ ही उसने थाने में अपीलार्थी के कमरे में रखी दराज में मौका देखकर पाउडर लगे रुपए रख दिए थे। वहीं एसीबी के निरीक्षक बृजपाल से अपीलार्थी का पुराना मतभेद था। इसके चलते उससे बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की थी।

महाराणा प्रताप जयंती पर श्रद्धांजलि दी

जयपुर,(का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराणा प्रताप को राष्ट्रवाद का महानायक बताते हुए कहा है कि वह स्वाधीनता संघर्ष के ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। राज-पाट का वैभव त्याग उन्होंने अरावली की घाटियों और दुर्गम वनों में रहना स्वीकार किया था।

राज्यपाल मिश्र ने महाराणा प्रताप की जयंती (2जून) पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आजादी का उनका संघर्ष मामूली नहीं था।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने महाराणा प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। डॉ. जोशी ने कहा है कि महाराणा प्रताप की वीरता, त्यापग और देश भक्ति सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की जयंती (2 जून) पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए सुखों का त्याग कर अरावली की पहाड़ियों और दुर्गम वनों में अपना जीवन व्यतीत किया।

नाबालिगों से बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने एक दर्जन से अधिक बच्चों को बंधक बनाकर उनसे बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त मोहम्मद सरफराज को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने बिहार निवासी इस अभियुक्त पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने 22 जुलाई, 2015 को नींदड रावजी का रास्ता स्थित बहुमंजिला मकान की चौथी मंजिल पर दबिश दी थी। यहां अभियुक्त 11 साल से 14 साल के पन्द्रह बच्चों से चूड़ियां बनवा रहा था। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उनसे सुबह सात बजे से रात 11 बजे लगातार काम कराया जाता है। इसके साथ ही न तो भरपेट खाना दिया जाता है और ना ही बाहर जाने की अनुमति मिलती है। इसके साथ ही उन्हें बंद कमरे में रखा जाता है और किसी से बात करते देखने पर अभियुक्त मारपीट भी करता है। अभियुक्त उन्हें बिहार से पढ़ाई कराने और काम सिखाने के बहाने जयपुर लाया था।

प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के रिक्त रहे पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश वसुंधरा पारीक व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

राज्यसभा चुनाव के लिये पांच उम्मीदवारों के नामांकन सही मिले

- 6 उम्मीदवारों के 14 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा हुई, एक उम्मीदवार का नाम निर्देशन पत्र निरस्त
- उम्मीदवार अपना नाम तीन जून तक वापस ले सकते हैं
- कांग्रेस के तीन, भाजपा का एक और भाजपा समर्थित निर्दलीय का नामांकन सही मिला

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान में चार राज्यसभा सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों से प्राप्त 14 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा बुधवार को विधानसभा स्थित कक्ष संख्या 751 में सम्पन्न हुई। संवीक्षा में एक उम्मीदवार का नाम निर्देशन पत्र अपूर्ण मानते हुए निरस्त किया गया। शेष 5 उम्मीदवारों के 13 नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए।

राजस्थान में राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने बताया कि चार राज्यसभा सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों की ओर से 14 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण उम्मीदवारों, एजेंट, प्रस्तावकों और राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के पर्यवेक्षक एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। उन्होंने बताया कि संवीक्षा की प्रक्रिया में निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कुमार जोशी द्वारा भरा गया एक मात्र नाम निर्देशन पत्र अपूर्ण होने के कारण से निरस्त किया गया है। शेष पांच उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी व निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के 2-2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक एवं प्रमोद कुमार के 3-3 नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए हैं।

डॉ. जोगाराम ने बताया कि उम्मीदवार 3 जून (शुक्रवार) को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन वापसी हेतु निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय गुरूवार को भी खुला रहेगा।

एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू भी हो गया और सत्ता का मोह भी नहीं छूटा

जिन नेताओं ने इस सिद्धांत के तहत इस्तीफा दिया, उन्होंने संगठन को वरीयता देने के बजाय सत्ता को चुना

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस के नेताओं में सत्ता की चाह कितनी बड़ी है, यह बात कई बार देखने को मिलती है। जब उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में यह तय हुआ कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा और उसकी पालना के लिए जयपुर में जब प्रदेश कांग्रेस का दो दिवसीय शिविर हो रहा है, तो किसी भी नेता ने सत्ता का साथ छोड़ना जरूरी नहीं समझा और तुरंत प्रभाव से संगठन का साथ छोड़ दिया। मतलब कि कांग्रेस के नेताओं को सत्ता ज्यादा जरूरी लगती है और संगठन उनके लिए वरीयता में बाद में आता है।

दरअसल उदयपुर में हुए कांग्रेस चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले और लगातार एक पद पर 5 साल रहने, लगातार एक पद पर दो बार नियुक्त नहीं होने के लिए फैसले पर अमल की बात आई, तो इसकी शुरुआत निश्चित तौर पर राजस्थान से हुई है। लेकिन इस शुरुआत में किसी भी नेता ने सत्ता का मोह नहीं छोड़ा और संगठन को साइडलाइन कर दिया।

- तीन मंत्रियों ने छोड़ा संगठन का पद, चार जिला अध्यक्षों और दो सचिवों ने भी दिए इस्तीफे

जयपुर में हो रहे प्रदेश कांग्रेस के शिविर के पहले दिन जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि जिन नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए हैं, उनमें तीन मंत्री, दो बोर्ड-निगमों के चेयरमैन, चार जिलाध्यक्षों और दो पीसीसी सचिव शामिल हैं। वैसे इन नेताओं ने इस्तीफे तो दे दिए लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इन नेताओं के इस्तीफे प्रदेश कांग्रेस को मिल गए हैं लेकिन इस्तीफे स्वीकार करने के लिये इकाई वो नहीं हैं। इस्तीफे स्वीकार करने का फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा।

दरअसल एक व्यक्ति एक पद के तहत इस्तीफा देने वालों में काबीना मंत्री रामलाल जाट, गोविंद राम मेघवाल और महेंद्रजीत सिंह मालवीय शामिल हैं जो मंत्री पद के साथ ही प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष पद पर भी हैं। इन्होंने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को मानते हुए इस्तीफा तो दिया लेकिन इस्तीफा देने के लिए उन्होंने संगठन को चुना। यानी कि जिस संगठन के जरिए इन्हें सत्ता हासिल हुई है उस संगठन को दूसरे पायदान पर रखते हुए उन्होंने सत्ता को चुना और मंत्री पद पर बने रहे। सिर्फ तीन मंत्रियों ने ही संगठन को दूसरी वरीयता पर नहीं रखा बल्कि हाल ही राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले नेताओं ने भी सत्ता की नियुक्तियों को वरीयता दी है। इनमें बंजर भूमि विकास बोर्ड के चेयरमैन संदीप चौधरी शामिल है, जिन्होंने किसान कांग्रेस से लंबे समय से इस्तीफा दे रखा है, वहीं उन्होंने अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के सचिव और एससी आयोग के उपाध्यक्ष सचिन सरवटे ने भी सत्ता के पद को अपने पास रखते हुए संगठन के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ लगातार 5 साल से ज्यादा एक पद पर रहने वाले सिद्धांत को मानते हुए चार जिलाध्यक्षों ने भी अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को भेज दिया है। इनमें जैसलमेर के जिलाध्यक्ष फतेह मोहम्मद खान, नागौर के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, बीकानेर शहर की यशपाल गहलोत और हीरालाल मेघवाल शामिल हैं। वही लगातार 5 साल से ज्यादा समय से लगातार दूसरी बार सचिव बने जसवंत गुर्जर और जियाउर रहमान ने भी सचिव पद से अपना इस्तीफा दिया है।

सचिन पायलट के साथ सेल्फी लेने का युवाओं में दिखा क्रेज

नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी को व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करवाने के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट बुधवार को उद्योग भवन में पहुंचे। उन्होंने कार्यभार संभालने पर सुरेश मोदी को बधाई दी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं व समर्थकों के साथ बैठकर बातचीत की। इस दौरान सचिन पायलट के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों का जमकर तांता लगा रहा। फोटो-राष्ट्रदूत

जयपुर डिस्कॉम को मिला 6.19 करोड़ का राजस्व

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए चलाई जा रही एमनेस्टी योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 17 मई तक 2 हजार 481 मामलों का निपटारा किया गया है। निगम को इससे 6 करोड़ 19 लाख 67 हजार रूपए राजस्व की प्राप्ति हुई।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक अजीत कुमार सक्सैना ने बताया कि बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामलो में 31 दिसम्बर, 2021 तक भरी गई वीसीआर के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु 1 अप्रेल से 30 सितम्बर, 2022 तक 6 माह की अवधि के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत सभी लम्बित वीसीआर के प्रकरणों का सहायक अभियन्ता कार्यालय स्तर पर ही निपटारा किया जा रहा है। एमनेस्टी योजना के तहत 1 लाख रूपए तक की सिविल लायबिलिटि या दुरूपयोग की राशि का 50 प्रतिशत व पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा।

उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय भार ना पडें इसके लिए 6 समान मासिक ब्याज मुक्त किश्तों में वीसीआर की निर्धारित राशि का भुगतान किया जा सकता है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय पिताजी **श्री नरेंद्र सिंह पाल** का स्वर्गवास दिनांक 29.05.2022 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.06.2022 को साँय 05:00 से 06:00 बजे तक आदर्श विद्या मन्दिर, आस्था भवन, सेंट्रल अकैडमी स्कूल के सामने, अम्बाबाडी सर्कल के ठीक समीप, जयपुर पर होगी।

शोकाकुलः निशिता- सुरेंदर (पुत्री-दामाद), निमिशा- राजीव (पुत्री-दामाद), एवं समस्त पाल परिवार।

9717896140, 9718343411

प्रथम पुण्यतिथि

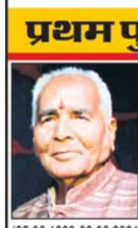

स्व.वैद्य श्री हनुमान सहाय जी चोटिया (संरक्षक, अखिल भारतवर्षीय खॉण्डल विप्र महासभा) (कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण महासभा)

(25.06.1939-02.06.2021)

सामाजिक सरोकारों के प्रति समिर्पित, समन्वय, सामंजस्य एवं सयुक्तता के संवाहक, हर परिस्थिति में दृढ़-प्रतिज्ञ व अविचल, प्रेरणादायक व कर्मनिष्ठ आपके समग्र व्यक्तित्व के आदर्शों का हम सदैव अनुसरण करते रहेंगे।

समस्त परिवारजन आपकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। सदैव आपका आर्शीवाद बना रहें।

श्रद्धावनत- नर्बदा देवी (पत्नी), राधाकिशन, श्रवण कुमार, रामगोपाल, गोपाललाल, सत्यनारायण, सीतराम, बाबूलाल, घीसालाल, रामरतन, मालीराम, जुगलकिशोर, रामदास, पवन, बजरंग, शंकर (भ्राता), वैद्य ओमप्रकाश, के.के.शर्मा (पुत्र), विपिन, विनीत, अभिनव (पौत्र), जाह्नवी-मोहित (पौत्री-दामाद) एवं समस्त चोटिया परिवार

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य नासिर खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद, निवासी-51, रहमान की ढाणी, भावगढ बंध्या, खोह नागौरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 120, 123, 128, 129, 130 व 161 स्थित केसर वाटिका विस्तार आवासीय योजना, गोनेर रोड, खातीपुरा, खोह नागौरियान जयपुर का वास्तविक भौतिक कब्जा मेरे अभिभाष्य के पास है जिनके संपूर्ण विक्रय प्रतिफल की राशि का भुगतान किये बिना रमेश चन्द सोनी पुत्र चोखराज सोनी निवासी 175 अमरनाथ धाम कॉलोनी, कालवाड रोड, हाथोज जिला जयपुर राजस्थान ने उक्त भूखण्डों के आवंटन पत्र मेरे अभिभाष्य से प्राप्त कर लिये है, उक्त भूखण्डों के आवंटन पत्रों के आधार पर कोई भी व्यक्ति संस्था, कम्पनी उक्त भूखण्डों के बाबत रमेश चन्द सोनी से कोई संव्यवहार नहीं करे ऐसा संव्यवहार प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होगा तथा ऐसे संव्यवहार के लिए मेरा अभिभाष्य कतई जिम्मेदार नहीं होगा। भवदीय (अनिल मोहता) एडवोकेट, मो.नं. 9314021355

सूचना

हर आम-खास को सूचित किया जाता है कि मेरी माताजी श्रीमती कपू कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री हनुमान सिंह उम्र 63 वर्ष निवासी 50, शिवपूरी खतीपुरा वार्ड नंबर 9 जयपुर राजस्थान का निधन दिनांक 04.12.2021 को हो गया है उनके नाम से पंजिकृत वाहन संख्या RJ45 CK 9940 (CRETA SX) एवं RJ45 CK 9794 (BALENO) को में विक्रम सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह अपने नाम से ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ अतः किसी को कोई आपत्ति है तो परिवहन कार्यालय में लिखित में 15 दिवस में सूचना देवे।

खोया पाया

मामोडिया मोहल्ले में मूलचंद पिता चीमाराम माली के नाम से नगर पालिका चाकसू द्वारा पत्रावली संख्या 276/59-60 एवं 183/79-80 से पट्टे जारी हुए थे जिनका मोहन लाल पिता मूलचंद सैनी के नाम हक में सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी हो चुका है जिसके मूल पट्टे कहीं खो गए है अगर किसी को मिले तो संपर्क करें- मोहन लाल सैनी :9829736325

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य पूरण मल महावर पुत्र स्व. श्री गोवर्धन महावर, निवासी 1, गैटोर की छतरियाँ, गैटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर का पुत्र लक्ष्मीनारायण महावर व उसकी पत्नी कान्ता देवी मेरे अभिभाष्य के कहने सुनने से बाहर है, अतः मेरे अभिभाष्य ने उन्हें अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में उनके कार्यो एवं लेन-देन से मेरे अभिभाष्य व उनके परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। (मो.नं. 9462800680) दिनांकः 01/06/2022 (मनीष कुमार शर्मा) एडवोकेट

समापक, जय अम्बे हाऊसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर एवं निरीक्षक कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जयपुर (शहर) कमरा नं. 608, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर। क्रमांकः SPL **आम सभा की सूचना** दिनांकः 01.06.2022 जय अम्बे हाऊसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर के सदस्यों के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर समापक द्वारा निर्णय लिया गया है कि समिति की आम सभा की बैठक का आयोजन दिनांक 20.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे, 56-ए, हनुमान-I वाटिका, अजमेर रोड़, जयपुर में किया जायेगा। जिसमें समिति के अवसायन के संबंध में विचार किया जायेगा। समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय पर उक्त स्थान पर आम सभा में उपस्थित होवे। कोरम के अभाव में स्थगित आम सभा पुनः 1 घण्टे बाद आयोजित होगी। (सुरेन्द्र कुमार यादव) समापक, जय अम्बे हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पहाडगंज गृ.नि.स. समिति लि.जयपुर पंजीयन क्रमांक 2429/एल की योजना महादेव नगर स्थित नया खेड़ा विद्याधर नगर जयपुर में भूखण्ड संख्या 28 व 29 क्षेत्रफल 466-66 वर्गगज के श्री महादेव प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी पुराना घाट खानिया आगरा रोड जयपुर के नाम से आवंटित किये गये थे किन्तु दिनांक 11/05/2021 को श्री महादेव प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके द्वारा मनोनित श्रीमती मूली देवी पत्नि स्व. श्री महादेव प्रसाद शर्मा ने समिति कार्यालय में अपने हक के उक्त वर्णित भूखण्डों को अपने नाम से परिवर्तन करवाने हेतु आवेदन किया है इस सम्बन्ध में किसी संस्था व्यक्ति या अन्य किसी को कोई आपत्ती हो तो मय साक्ष्य के समिति, कार्यालय में 7 दिवस के अन्दर सम्पर्क करें अन्यथा मियाद गुजर जाने के बाद उक्त प्रार्थीया के हक मे नाम परिवर्तन कर दिये जावेंगे। मन्त्री-पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति लि.जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी क्रमांक-345 दिनांक-01.06.2022 **आवश्यक सूचना** मूलतः फ्लेट संख्या 7K/FF/09 सेक्टर 4 एवं 7 योजना, भिवाडी श्री धर्मवीर राणा को आवंटन पत्रांक 745 दिनांक 30.4.2012 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा इनके पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र 1380 दिनांक 10.12.2021 को जारी किया गया। मण्डल द्वारा उक्त फ्लेट के पंजीयन प्रपत्र क्रमांक 1762 दिनांक 27.1.2022 को जारी किये जा चुके है। श्री धर्मवीर राणा की मृत्यु दिनांक 09.02.2022 को हो चुकी है। श्रीमती सरोज ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री धर्मवीर राणा की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं अन्य वारिसानों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि उनके पति का स्वर्गवास दिनांक 09.02.2022 को हो जाने के कारण उपरोक्त फ्लेट संख्या 7K/FF/09 सेक्टर 4 एवं 7, भिवाडी का मृत्यु उपरान्त हस्तांतरण उनके नाम किया जावे। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त फ्लेट संख्या 7K/FF/09 सेक्टर 4 एवं 7, भिवाडी के संबन्ध में पिता, पुत्र, पुत्रियाँ, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विषेश या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती सरोज पत्नी स्व.श्री धर्मवीर राणा के पक्ष में उपरोक्त फ्लेट संख्या 7K/FF/09 सेक्टर 4 एवं 7 योजना, भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त हस्तांरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी

नाम परिवर्तन

मैं Kalpna W/o 04091229H Hav Sachin Lal निवासी ग्राम-कंसेरू, पोस्ट ऑफिस एवं तहसील-बडकोट, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) मैंने मेरा नाम Kalpna से बदलकर Kalpana रख लिया है। जो कि मेरे आधार कार्ड में है। शपथ पत्र सं. BF 753129, दिनांक 21.05.2022

मैंने मेरा नाम राज कुमार से बदलकर राज कुमार प्रेमानी रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। ए-25 सरस्वती कॉलोनी, गुल भवन, सांगानेर, जयपुर

मैं नाहिद कौसर काजी ने अपना नाम बदलकर नाहिद खान पत्नी मोहम्मद रियाज रख लिया। भविष्य में मुझे नाहिद खान के नाम से जाना पहचाना जावे। प्लाट नं.19, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर

मैंने मेरा नाम कालूराम यादव पुत्र श्री प्रहलाद सहाय यादव उम्र 29 साल निवासी जोधराज यादव की ढाणी महेशवास कलां रोजदा जयपुर से बदलकर कार्तिक यादव पुत्र श्री प्रहलाद सहाय यादव रख लिया है। भविष्य में मुझे उक्त नये नाम से जाना व पहचाना जावे।

I have changed my name from Gurjot Singh Sahni to Gurjot Singh for all purpose R/o 208-B, Gurunanakpura, Rajapark, Jaipur.

I have changed my name Mohammed Juned to Mohammad Junaid Mansoori S/o Mohammed Sami Residential 558/3 Har Colony Char Darwaza Jaipur. In future I will known as Mohammad Junaid Mansoori.

I Motilal Purohit S/o Saremal Ram Purohit R/o Phagotra, Fagotra, Jalor, Rajasthan - 343029, have changed my name to Mukesh Purohit.

राजस्थान आवासन मण्डल वृत प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर क्रमांकः 2337 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 01.06.2022 राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास / फ्लेट संख्या 3/A/03 (GF) (MIG&A), (एरिया 52.34 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री अवनीश चन्द्र त्यागी पुत्र स्व. श्री राजेश्वर प्रसाद त्यागी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 10991 दिनांक 09.01.2015 एवं संशोधन आवंटन पत्र क्रमांक 1826 दिनांक 03.02.2015 को जारी किया गया। श्री अवनीश चन्द्र त्यागी के पक्ष में उक्त आवास / फ्लेट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 08.10.2015 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री अवनीश चन्द्र त्यागी की मृत्यु दिनांक 12.12.2020 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री अभिषेक त्यागी पुत्र स्व. श्री अवनीश चन्द्र त्यागी द्वारा उक्त आवास / फ्लेट को अपने स्वयं के नाम पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास / फ्लेट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्री अभिषेक त्यागी पुत्र स्व. श्री अवनीश चन्द्र त्यागी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय संपदा प्रबंधक, वृत प्रबंधक, राज. आवा. मंडल, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 143/22

विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी- नाम सुनीता पारीक पत्नि स्व. मोहन लाल पारीक, जाति- पारीक, विवाद स्थान- ग्राम बगवाड़ा पुलिस थाना, दौलतपुरा, तह. आमेर, जिला- जयपुर, मृतक- स्व. मोहन लाल पारीक की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक 05.07.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम- स्व. मोहन लाल पारीक, पुत्र- स्व. श्री कन्हैया लाल, जाति- पारीक, निवासी- ग्राम बगवाड़ा, तह. दौलतपुरा का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 05.07.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया है।

आज्ञा से

मोहर

वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत ADJ No.6 (प्रथम) जयपुर महानगर जयपुर

अब्दुल रउफ बनाम सबीर उल्लाह

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नम्बर 19/2019

बनाम- (5) शहनाज पुत्री स्व. सदीर उल्लाह पता-1207, बकरा मंडी के पास, जयपुर (6) शाहीन पुत्री स्व.सदीर उल्लाह पता-म.सं.108, लाल मस्जिद के पास, बास बदनपुरा जयपुर (9) शबाना पुत्री स्व.सदीर उल्लाह पत्नी रफीक पता-462, चार दरवाजा मौलाना बाबा की दरगाह के आगे जयपुर

चूंकि..... ने इस अदालत में तारीख ..... माह..... सन 199 को 1...... बनाम 2...... दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि.........

मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी..... मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3...... बनाये जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1...... 06 माह 07 सन् 2022 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 05 सन् 22 को जारी किया गया।

वरिष्ठ रीडर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-6 जयपुर महानगर प्रथम

मोहर